

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

प्रेषक

सुशांत झा,
विशेष सचिव

सेवा में,

प्राचार्य,

राजकीय पोलिटेकनिक, नवादा/दरभंगा/सुपौल एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक, मुजफ्फरपुर।

/पटना, दिनांक

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य स्कीम बजट के "मुख्यशीर्ष- 2203 -तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष -00, लघुशीर्ष-105-बहुशिल्प (पोलिटेकनिक) विद्यालय, मांग संख्या-43, उपशीर्ष-0106- प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम" (विपत्र कोड 43-2203001050106) के अधीन आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-205, दिनांक 15.01.2019 के द्वारा विभागान्तर्गत 4 (चार) राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों यथा राजकीय पोलिटेकनिक, नवादा/दरभंगा/सुपौल एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक, मुजफ्फरपुर में छात्र/ छात्राओं के लिए आवश्यक पुस्तकों के क्रय हेतु कुल रू. 32,00,000=00 (बत्तीस लाख रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में संबंधित संस्थानों को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2018-19 में नियमानुसार व्यय हेतु विषयांकित बजटशीर्ष के अधीन 13 01 कार्यालय व्यय विषयशीर्ष में द्वितीय अनुपूरक से उपबंधित राशि से संबंधित संस्थानों को कुल रू. 32,00,000=00 (बत्तीस लाख रुपये) मात्र का आवंटन निम्नवत प्रदान किया जाता है-

विषयशीर्ष	रा. पो. नवादा	रा. पो. दरभंगा	रा. पो. सुपौल	रा. म. पो. मुजफ्फरपुर	कुल आवंटित राशि (राशि रू. में)
1	2	3	4	5	6
1301 कार्यालय व्यय	800000	800000	800000	800000	3200000
	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)

(क) आठ लाख रुपये मात्र। (ख) आठ लाख रुपये मात्र। (ग) आठ लाख रुपये मात्र।

(घ) आठ लाख रुपये मात्र। (ङ) बत्तीस लाख रुपये मात्र।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि(2) दिनांक 17.04.1998, पत्रांक-6903, दिनांक 13.09.2018 एवं पत्रांक-868, दिनांक 10.12.2018 में अंकित प्रावधानों के आलोक में दिया जा रहा है। अतएव, उक्त परिपत्र तथा वित्त विभाग के अन्य सुसंगत परिपत्रों में निहित दिशा-निर्देशों का अनुपालन निकासी एवं व्ययन के पूर्व निश्चित रूप से किया जाय।

3. उक्त आवंटित राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन कदापि नहीं किया जाय। यदि उक्त विषयशीर्ष में आवंटित राशि का व्यय संभावित नहीं हो तो उसे यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर विभाग को वापस लौटा दिया जाय।

4. विभिन्न विषय शीर्षों में राशि की निकासी हेतु विपत्रों के उपस्थापन के क्रम में कृपया यह सुनिश्चित किया जाय कि विपत्रों पर विपत्र कोड/मुख्यशीर्ष/उपमुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/मांग

संख्या/कूट संख्या सहित विषयशीर्षों के नाम का सुस्पष्ट उल्लेख रहे ताकि महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय में विपत्रों के पोस्टिंग में सुविधा हो सके।

5. स्वीकृतादेश/ आवंटनादेश तथा विपत्रों के कोड संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करने के संबंध में वित्त विभाग का पूर्व प्रेषित पत्रांक 280/ वि(2), दिनांक 29.03.2003 में अंकित दिशा निर्देश का अनुपालन अक्षरशः किया जाय।

6. व्यय विवरणी टी0 भी0 नं0 एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 7 (सात) तारीख तक महालेखाकार, बिहार, पटना एवं अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन

ह०/ -

(सुशांत झा)

विशेष सचिव

ज्ञापांक- वि.प्रा.(III)ब³ -14/2016-

/पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले. एवं हक०), बिहार, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ -

विशेष सचिव

ज्ञापांक- वि.प्रा.(III)ब³ -14/2016-

/पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, कोषागार नवादा/दरभंगा/सुपौल/ मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ -

विशेष सचिव

ज्ञापांक- वि.प्रा.(III)ब³ -14/2016-

103 (m) /पटना, दिनांक 1-2-2019

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/योजना सहायक/आई.टी. मैनेजर (ई-मेल/विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु)/ एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाइल में संधारण हेतु (निर्गत शाखा), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1.2.19
विशेष सचिव